



AFR

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट अपील क्र० 473/2022

बारब्रिक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (निदेशक श्री आयुष अग्रवाल, आयु लगभग 32 वर्ष, पिता श्री महेश कुमार अग्रवाल के माध्यम से) नेहरू पार्क रोड, सूरजपुर, थाना और जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़।

--- अपीलकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव के माध्यम से, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. प्रधान आयुक्त आयकर (केंद्रीय), आयकर भवन, होशंगाबाद रोड, भोपाल, (मप्र)।
3. अतिरिक्त आयुक्त आयकर, रेंज सेंट्रल, आयकर भवन, सिविल लाइंस, रायपुर (छत्तीसगढ़) पिन 492001
4. सहायक आयुक्त आयकर, सेंट्रल सर्कल, श्री राम प्लाजा, व्यापार विहार, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) पिन 495004

----- प्रत्यर्थी

(काज टाइटल केस सूचना प्रणाली से लिया गया)

अपीलकर्ता हेतु : श्री एस. राजेश्वर राव, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी क्र० 1 हेतु : श्री रमाकांत मिश्रा, उप सॉलिसिटर जनरल

प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 हेतु : सुश्री नौशिना अफरीन अली, अधिवक्ता

सुनवाई की तिथि: 15.09.2022

निर्णय की तिथि: 15.12.2022



माननीय श्री अरूप कुमार गोस्वामी, मुख्य न्यायाधिपति

माननीय श्री दीपक कुमार तिवारी, न्यायाधीश

सी०ए०व्ही० निर्णय

माननीय श्री अरूप कुमार गोस्वामी, मुख्य न्यायाधिपति

1. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एस. राजेश्वर राव को सुना गया। साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री रमाकांत मिश्रा तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री नौशिना आफरीन अली को भी सुना गया।

2. याचिकाकर्ता द्वारा दायर यह रिट अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा WP(T) संख्या 186/2022 में रिट याचिका को खारिज करने के दिनांक 28.07.2022 के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 148-क के तहत निर्धारण अधिकारी (संक्षेप में ए ओ) द्वारा पारित दिनांक 31.03.2022 के आदेश और अधिनियम की धारा 148 के तहत जारी नोटिस को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की गई थी।

3. याचिकाकर्ता एक कंपनी है जो सिविल निर्माण कार्यों के निष्पादन में लगी हुई है और इसने 26.03.2019 को कर निर्धारण वर्ष (संक्षेप में, AY) 2018-2019 के लिए अधिनियम की धारा 139(1) के तहत आयकर रिटर्न दाखिल किया था, जिसमें कुल आय 43,14,13,840/- रुपये घोषित की गई थी। अधिनियम की धारा 143(2) के तहत 23.09.2019 को निर्धारिती को नोटिस जारी किया गया। अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत पारित दिनांक 12.04.2021 के आदेश द्वारा विवरणी के अनुसार कुल आय का निर्धारण किया गया। इसके बाद, ए ओ, यानी प्रत्यर्थी संख्या 4 ने 24.03.2022 को अधिनियम की धारा 148 क (ख) के तहत कारण बताओ नोटिस (संक्षेप में एससीएन) जारी



किया, जिसमें कहा गया कि उनके पास ऐसी जानकारी है, जिससे पता चलता है कि निर्धारण वर्ष 2018-2019 के लिए कर योग्य आय अधिनियम की धारा 147 के अर्थ में निर्धारण से बच गई है। उक्त एससीएन के साथ सूचना का विवरण **अनुलग्नक-ए** के रूप में संलग्न किया गया था और निर्धारिती से कारण बताने के लिए कहा गया था कि **अनुलग्नक-ए** में निहित विवरण के मद्देनजर अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस क्यों नहीं जारी किया जाना चाहिए। तदनुसार, निर्धारिती को तकनीकी रूप से समय सीमा तक अपना जवाब, यदि कोई हो तो, सहायक दस्तावेजों के साथ, ई-फाइलिंग पोर्टल में अपने खाते के माध्यम से 'ई-कार्यवाही' सुविधा में इलेक्ट्रॉनिक रूप से 30.03.2022 को या उससे पहले प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। यह इंगित किया गया था कि उक्त नोटिस प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय), भोपाल, से दिनांक 24.03.2022 की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद जारी किया गया था।

4. बेहतर समझ के लिए इस समय **अनुलग्नक-ए** का उद्धरण देना उचित होगा:

“श्री बारब्रिक प्रोजेक्ट लिमिटेड, पैन: AADCB4662P के मामले में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 क (ख) के तहत कारण बताओ नोटिस वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए

इनसाइट पोर्टल से प्राप्त उच्च जोखिम सीआरआईयू/वीआरयू मामलों के अंतर्गत सूचना के परिणामस्वरूप, इस कार्यालय को यह जानकारी मिली है कि मेसर्स पनवीन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ने आपके साथ कुछ लेन-देन किया है। मेसर्स पनवीन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान बारब्रिक प्रोजेक्ट लिमिटेड को 2,20,00,275/- रुपए की बिक्री दर्शाई है। हालांकि, विश्वसनीय जानकारी के आधार पर यह पाया गया है कि मेसर्स वैलेस्का ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स पनवीर ट्रेडिंग



प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स श्वेतपुष्प कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को अन्य व्यापारिक संस्थाओं को अनियमित इनपुट टैक्स क्रेडिट देने के लिए अंतर्निहित वस्तुओं/सेवाओं की भौतिक आपूर्ति के बिना विभिन्न संस्थाओं को टैक्स चालान बनाने और बेचने में लिप्त पाया गया है और ऐसा करने के लिए उन्होंने दूसरों द्वारा जारी किए गए नकली चालानों के खिलाफ इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ भी उठाया और उसका उपयोग भी किया है।

इस कार्यालय में उपलब्ध विस्तृत जानकारी के अनुसार, आप वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान आवास प्रविष्टि के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 से संबंधित 2,20,00,275/- रुपये की राशि के लेनदेन के लाभार्थी हैं।

उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि कर योग्य 2,20,00,275/- रूपए की आय वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए निर्धारण से बच गई है और यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 क (ख) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए उपयुक्त मामला है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया कारण बताएं कि उपरोक्त सूचना के आधार पर धारा 148 के तहत नोटिस क्यों न जारी किया जाए।

कारण बताओ नोटिस के माध्यम से आपको आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 क (ख) के अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान किया जा रहा है। कृपया यह भी ध्यान रखें कि समय की कमी के कारण कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। यदि निर्दिष्ट समय के भीतर आपसे कोई जवाब नहीं मिलता है, तो यह माना जाएगा कि आपके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है और तदनुसार, अधिनियम की धारा 148 के तहत आपके मामले में



नोटिस जारी किया जाएगा। यह नोटिस विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद जारी किया जाता है।

प्रदीप कुमार स्वर्णकार

सेंट्रल सर्कल, बिलासपुर

5. दिनांक 24.03.2022 को जारी किए गए एससीएन के अवलोकन से पता चलता है कि ए ओ के पास इनसाइट पोर्टल से प्राप्त उच्च जोखिम मामले से संबंधित सूचना अपलोड (सीआरआईयू) / सत्यापन रिपोर्ट अपलोड (वीआरयू) के तहत जानकारी थी कि मेसर्स पनवीन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान याचिकाकर्ता को 2,20,00,275/- रुपये की बिक्री राशि दिखाई थी। विश्वसनीय सूचना के आधार पर, यह पाया गया कि तीन संस्थाएं, अर्थात् मेसर्स वैलेस्का ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स पनवीन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स श्वेतपुष्प कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, अन्य व्यावसायिक संस्थाओं को अनियमित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पारित करने के लिए अंतर्निहित वस्तुओं/सेवाओं की भौतिक आपूर्ति के बिना विभिन्न हकदारों को कर चालान बनाने और बेचने में लिप्त पाई गईं और इस प्रकार उन्होंने दूसरों द्वारा जारी किए गए नकली चालानों के खिलाफ आईटीसी का लाभ उठाया/उपयोग भी किया। तदनुसार, यह दर्ज किया गया कि कार्यालय के पास उपलब्ध विस्तृत जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ता वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान किए गए 2,20,00,275/- रुपये के सभी लेन-देन का लाभार्थी था, जो कि निर्धारण वर्ष 2018-2019 से संबंधित है और तदनुसार, यह अवलोकन किया गया कि यह स्पष्ट था कि कर के लिए प्रभार्य 2,20,00,275/- रुपये की आय निर्धारण वर्ष 2018-2019 के लिए निर्धारण से बच गई थी और इस प्रकार, यह अधिनियम की धारा 148 क (ख) के तहत एससीएन जारी करने के लिए एक उपयुक्त मामला था। तदनुसार, याचिकाकर्ता से कारण बताने के लिए कहा गया कि उपरोक्त सूचना के आधार पर अधिनियम की धारा 148



के तहत नोटिस क्यों न जारी किया जाए, साथ ही यह भी कहा गया कि अधिनियम की धारा 148 क (ख) के तहत याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाता है।

6. याचिकाकर्ता ने 30.03.2022 को अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें आरोपों का खंडन किया गया और दावा किया गया कि उसने विचाराधीन अवधि के दौरान मेसर्स पनवीन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोई लेनदेन नहीं किया था और उस सीमा तक, एक अभ्यासरत चार्टर्ड एकाउंटेंट से एक प्रमाण पत्र अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न किया गया था। तदनुसार, कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध करते हुए, उच्च जोखिम सीआरआईयू/वीआरयू के तहत इनसाइट पोर्टल से प्राप्त जानकारी की एक प्रति जो कार्यालय के कब्जे में थी, प्रदान करने का अनुरोध किया गया था, साथ ही एससीएन में उल्लिखित संस्थाओं के बारे में प्राप्त संदर्भित विश्वसनीय जानकारी, नकली चालान की प्रतियां जिसमें निर्धारिती का नाम उल्लेखित है और साथ ही निर्दिष्ट प्राधिकरण से प्राप्त पूर्व अनुमोदन भी प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। चार्टर्ड एकाउंटेंट के प्रमाण पत्र में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने पनवीन (या पनवीर) ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ किसी भी सामग्री/सेवा आदि की खरीद सहित कोई लेनदेन नहीं किया है। उस समय तक पनवीन (या पनवीर) का कोई खाता-बही खाता विचाराधीन नहीं था और याचिकाकर्ता ने जीएसटी विवरणी दाखिल करते समय पनवीन (या पनवीर) ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड से जीएसटी-2 ए में दर्शाई गई आपूर्ति के आधार पर कोई आईटीसी नहीं ली थी।

7. ए ओ ने अधिनियम की धारा 151 के तहत सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ अधिनियम की धारा 148 क (घ) के तहत 31.03.2022 को एक आदेश पारित किया और तदनुसार, ए ओ ने अधिनियम की धारा 148 के तहत 31.03.2022 को नोटिस भी जारी किया।

8. वित्त अधिनियम 2021 द्वारा, निर्धारण को पुनः खोलने के संबंध में प्रक्रिया को धारा 147 और 148 में 01.04.2021 से प्रतिस्थापित किया गया।



9. यह बताना सुसंगत है कि अधिनियम की धारा 148 क भी 01.04.2021 से लागू की गई है। अधिनियम की धारा 148 और धारा 148 क का उद्धरण देना सुसंगत होगा, जो इस प्रकार है:

"148. जहां आय कर निर्धारण से छूट गई हो वहां नोटिस जारी करना।—

धारा 147 के अधीन निर्धारण, पुनर्निर्धारण या पुनः संगणना करने से पूर्व, और धारा 148 क के उपबंधों के अधीन रहते हुये निर्धारण अधिकारी धारा 148 क के खंड (घ) के अधीन उससे पारित आदेश के साथ एक सूचना की तामील निर्धारिती को करेगा, यदि अपेक्षित हो, उसकी आय की विवरणी या किसी अन्य व्यक्ति की आय की विवरणी, जिसके संबंध में वह सुसंगत निर्धारण वर्ष से तत्स्थानी पूर्ववर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन निर्धारण है, विहित प्रारूप में आर विहित रीति में सत्यापित तथा उसमें ऐसी अन्य विशिष्टियों को दर्शाते हुए, जो विहित की जाएं, प्रस्तुत करेगा; आर इस अधिनियम के उपबंध जहां तक संभव हो तदनुसार लागू होंगे मानो ऐसी विवरणी धारा 139 के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विवरणी हो:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई सूचना तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक निर्धारण अधिकारी के पास ऐसी सूचना हो, जिससे यह प्रतीत होता हो कि कर से प्रभार्य आय किसी निर्धारिती की दशा में सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए छूट गई है आर निर्धारण अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से जारी की जाने वाली ऐसी सूचना जारी करने का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त कर लिया गया है।



स्पष्टीकरण 1- इस धारा आँर धारा 148 क के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी के पास सूचना, जिससे यह प्रतीत होता हो कि कर से प्रभार्य आय निर्धारण से छूट गई है, से-

(i) समय-समय पर बोर्ड द्वारा विरचित जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुसार निर्धारण वर्ष से सुसंगत निर्धारिती की दशा में कोई सूचना अभिप्रेत है;

(ii) इस प्रभाव का कोई लेखापरीक्षा आक्षेप कि सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती की दशा में निर्धारण इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं किया गया है; या

(iii) अधिनियम की धारा 90 या धारा 90 क में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन प्राप्त कोई सूचना; या

(iv) धारा 135 क के अधीन अधिसूचित स्कीम के अधीन निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध कराई गई कोई सूचना; या

(v) कोई सूचना, जो किसी अधिकरण या किसी न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप किसी कार्यवाही की अपेक्षा करती है।;

स्पष्टीकरण 2- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां, -

(i) धारा 132 के अधीन कोई तलाशी संस्थित की गई है या धारा 132 क के अधीन लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की निर्धारिती की दशा में, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात अध्यपेक्षा की गई है; या





(ii) निर्धारिती की दशा में, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात धारा 133 क की उपधारा (2 क) से भिन्न, उस धारा के अधीन कोई सर्वेक्षण संचालित किया गया है; या

(iii) प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्वानुमोदन से निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज, जिसका किसी अन्य व्यक्ति की दशा में 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात अभिग्रहण किया गया है या धारा 132 या धारा 132 क के अधीन अध्यपेक्षा की गई है, निर्धारिती से संबंधित है: या

(iv) प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्वानुमोदन से निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि किसी अन्य व्यक्ति की दशा में 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात अभिग्रहण या धारा 132 या धारा 132 क के अधीन अध्यपेक्षा की गई लेखा बहियां या दस्तावेज, उनमें अंतर्विष्ट किसी सूचना का है, जो निर्धारिती से संबंधित है,

यह समझा जाएगा कि निर्धारण अधिकारी के पास सूचना है, जिससे यह प्रतीत होता है कि निर्धारिती की दशा में पूर्व वर्ष, जिसमें तलाशी आरंभ की गई है या लेखा बहियां, अन्य दस्तावेज या किन्हीं आस्तियों की अध्यपेक्षा की गई या सर्वेक्षण संचालित किया गया है, या धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज या लेखा बहियां या दस्तावेजों का किसी अन्य व्यक्ति की दशा में अभिग्रहण किया गया है या अध्यपेक्षा की गई है।





स्पष्टीकरण 3- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से धारा 151 के अनुसार विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है।

धारा 148 क- धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने से पूर्व जांच करना, अवसर प्रदान करना- निर्धारण अधिकारी धारा 148 के अधीन कोई सूचना जारी करने से पूर्व, -

(क) ऐसी सूचना के संबंध में कि कर से प्रभार्य आय, निर्धारण से छूट गई है, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन से कोई जांच, यदि अपेक्षित हो, करेगा;

(ख) निर्धारिती को कारण बताआे नोटिस तामील करके, उसे ऐसे समय के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, जो सात दिन के कम का नहीं होगा किन्तु ऐसी तारीख से, जिसको ऐसी सूचना जारी की जाती है, तीस दिन से अधिक की नहीं होगा, ऐसा समय, जो इस निमित्त किसी आवेदन के आधार पर उसके द्वारा बढ़ाया जाए, कि धारा 148 के अधीन जानकारी के आधार पर सूचना क्यों न जारी की जाए कि कर से प्रभार्य आय सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए उसके मामले में निर्धारण से छूट गई है, सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और जिसका परिणाम खंड (क) के अनुसार की गई जांच, यदि कोई हो, है;

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट कारण बताआे सूचना के उत्तर में प्रस्तुत निर्धारिती के उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करेगा।

(घ) अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, जिसके अंतर्गत निर्धारिती का उत्तर भी है, यह विनिश्चय करेगा कि क्या उस मास





के अंत से, जिसमें खंड (ग) में निर्दिष्ट उत्तर उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है या जहां उस मास, जिसमें खंड (ख) के अनुसार उत्तर प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात समय या बढ़ाया गया समय समाप्त हो जाता है, के अंत से एक मास के भीतर एेसा उत्तर प्राप्त नहीं होता है, एक मास के भीतर विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन से आदेश पारित करके धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने के लिए यह उपयुक्त मामला है या नहीं:

परन्तु इस धारा के उपबंध उस मामले से लागू नहीं होंगे, जहां—

(क) धारा 132 के अधीन कोर्इ तलाशी संस्थित की गर्इ है या धारा 132 क के अधीन लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की निर्धारिती की दशा में, 1 अप्रैल, 2021 को या उससे पूर्व अध्यपेक्षा की गर्इ; या

(ख) प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्वानुमोदन से निर्धारण अधिकारी को यह समाधान हो गया है कि कोर्इ धन, सोना-चांदी, अाभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज, जिसका किसी अन्य व्यक्ति की दशा में 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात धारा 132 के अधीन तलाशी में अभिग्रहण किया गया है या धारा 132 क के अधीन अध्यपेक्षा की गर्इ है, निर्धारिती से संबंधित है; या

(ग) प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्वानुमोदन से निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि कोर्इ लेखा बही या दस्तावेज, जिसका किसी अन्य व्यक्ति की दशा में 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात धारा 132 के अधीन तलाशी में अभिग्रहण किया गया है या धारा





132 क के अधीन अध्यपेक्षा की गई है, उसमें अंतर्विष्ट ऐसी सूचना से संबंधित है, जिनका संबंध निर्धारिती से है; या

(घ) निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की दशा में किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण से छूट गई कर से प्रभार्य आय से संबंधित धारा 135 क के अधीन अधिसूचित स्कीम के अधीन कोई सूचना प्राप्त की गई है।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से धारा 151 में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है।

10. अधिनियम की धारा 148 क(घ) के तहत आदेश और धारा 148 के तहत नोटिस के संबंध में आरोप के समर्थन में, श्री राव ने निम्नलिखित तर्क किया है:

(क) ऐसी कोई वैध जानकारी नहीं है जो यह सुझाती हो कि कर योग्य आय निर्धारण से बच गया हो जो धारा 148 के तहत परिभाषित है।

(ख) ए ओ ने अधिनियम की धारा 148 क (क) के तहत सत्यापन नहीं किया।

(ग) ए ओ ने अधिनियम की धारा 148 क (घ) के तहत आदेश पारित करते समय धारा 148 क के खंड (सी) के तहत अपीलकर्ता के उत्तर पर विचार नहीं किया।

(घ) ए ओ ने दिनांक 30.03.2022 के उत्तर के अनुसार मांगे गए दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराईं।



(ई) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने बिना सोचे-समझे नियमित तरीके से अधिनियम की धारा 151 के तहत मंजूरी दे दी है।

11. उन्होंने आगे तर्क दिया कि इस मामले में कोई जांच नहीं की गई, जो आवश्यक थी क्योंकि उच्च जोखिम सीआरआईयू/वीआरयू के तहत अपलोड की गई जानकारी सटीक नहीं है, जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 01.08.2022 को दिशा-निर्देश जारी करते समय स्वीकार किया था। सीबीडीटी के दिनांक 01.08.2022 के दिशा-निर्देशों पर भरोसा करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि ए ओ को उन सभी सुसंगत सूचनाओं की प्रतियां उपलब्ध कराना आवश्यक है जिन पर भरोसा किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 148 क (घ) के तहत पारित आदेश अधिनियम की धारा 246 क के तहत अपील योग्य नहीं है और इसलिए रिट याचिका स्वीकार्य है। अपने तर्कों के समर्थन में, श्री राव कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा एक्सेल क्मोडिटी एंड डेरिवेटिव प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य में दिए गए निर्णय का हवाला देते हैं, जिसकी रिपोर्ट 2022 (9) टी एम आई 310 में दी गई है, गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा स्टूडियो वर्चुज बनाम आयकर अधिकारी वार्ड 5(3)(1) या उनके उत्तराधिकारी में दी गई है, जिसकी रिपोर्ट 2022 (6) टी एम आई 520 में दी गई है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा धर्मेन्द्र कुमार सिंह बनाम भारत संघ और 2 अन्य में दी गई है, जिसकी रिपोर्ट 2022 (5) टी एम आई 1390 में दी गई है, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एटेन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड बनाम सहायक आयकर आयुक्त, सर्किल (1) दिल्ली और अन्य में दी गई है, जिसकी रिपोर्ट 2022 (5) टी एम आई 1069 में दी गई है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मेसर्स सहारा इंडिया (फर्म), लखनऊ बनाम सी आई टी, सेंट्रल-1 और अन्य, 2008 (4) टी एम आई 4 – एस सी में रिपोर्ट किया गया।

12. प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री नौशिना अफरीन अली ने दलील दी कि अपीलकर्ता ने यह तर्क देने के लिए केवल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है कि कर योग्य कोई भी आय कर निर्धारण से बच नहीं पाई है।



अपीलकर्ता ने किसी भी व्यक्तिगत सुनवाई की मांग नहीं की, हालांकि दिनांक 24.03.2022 के नोटिस में अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था। उन्होंने दलील दी कि सभी मामलों में जांच की आवश्यकता नहीं है और अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक सभी जानकारी अपीलकर्ता को उपलब्ध करा दी गई है। वह पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा 02.06.2022 को **जियान कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं अन्य, सी डब्ल्यू पी संख्या 9142/2022** में दिए गए निर्णय पर भरोसा करती हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश विशेष अनुमति अपील (सी) संख्या 10762/2020 के लिए याचिका जिसके तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 17.06.2022 के आदेश द्वारा जियान कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **आयकर उप आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 1(2) बनाम मेसर्स एम.आर.शाह लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड** के मामले में सिविल अपील संख्या 2453/2022 में दिनांक 28.03.2022 को पारित निर्णय, जो विशेष अनुमति अपील (सी) संख्या 22921/2019 से उत्पन्न हुआ है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.03.2019 को **प्रधान आयकर आयुक्त, सेंट्रल-1 बनाम एन आर ए आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड**, सिविल अपील संख्या 2463/2019 में पारित निर्णय, जो एसएलपी (सी) संख्या 29855/2018 और **गुलमुहर सिल्क प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी, वार्ड 10(3) दिल्ली** के मामले में डब्ल्यूपीसी संख्या 4787/2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय का दिनांक 07.04.2022 के निर्णय से उत्पन्न हुआ है।

13. विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि अधिनियम के तहत बच निकलने की राशि के निर्धारण के लिए एक पूर्ण तंत्र प्रदान किया गया है और ए ओ ने याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए उत्तर पर विचार करते हुए अपने विवेक का प्रयोग किया है और तदनुसार, अधिनियम की धारा 148 क (घ) के तहत आपत्तिजनक आदेश पारित किया है। यह देखा गया कि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई दलील उसका बचाव है, जिसकी जांच अधिनियम की धारा 148 क के तहत कार्यवाही करते समय की जा सकती है। यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता के विद्वान



वकील यह बताने में असमर्थ थे कि ए ओ द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के विपरीत कैसे हैं, विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि रिट याचिका, उस समय, रखरखाव योग्य नहीं थी और तदनुसार, रिट याचिका को खारिज कर दिया गया।

14. आगे बढ़ने से पहले, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दिए गए निर्णयों पर ध्यान देना उचित होगा।

15. **एक्सेल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा)** में, अधिनियम की धारा 148 क(ख) के तहत नोटिस इस आरोप पर जारी किया गया था कि निर्धारिती ने मेसर्स ब्लूव्यू ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड के साथ फर्जी व्युत्पन्न लेनदेन किया था। निर्धारिती ने उक्त नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया था, जिसमें अपने दावे के समर्थन में सभी सुसंगत दस्तावेज संलग्न किए गए थे, ताकि यह साबित किया जा सके कि उसने कोई फर्जी व्युत्पन्न लेनदेन नहीं किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने धारा 148 क (घ) के तहत पारित आदेश का अवलोकन करते हुए, माना कि एओ ने अप्रत्यक्ष रूप से निर्धारिती द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया है क्योंकि एओ ने माना था कि निर्धारिती ने मेसर्स ब्राइटमून सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड से फंड ट्रांसफर के माध्यम से समायोजन प्रविष्टि ली थी, जो एक अलग कंपनी है और इस तरह, माना कि अधिनियम की धारा 148 क (घ) के तहत पारित आदेश अस्थिर है और उस दृष्टिकोण को लेते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप किया था जिसके द्वारा मामले को नए सिरे से विचार के लिए ए ओ को वापस भेज दिया गया था।

16. **स्टूडियो वर्चुज (सुप्रा)** में, गुजरात उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 148 क (घ) के तहत आदेश में दिए गए तर्क से संतुष्ट न होते हुए, आदेश को रद्द कर दिया था और मामले को नए सिरे से विचार के लिए अधिकारियों को वापस भेज दिया था, साथ ही याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने का निर्देश भी दिया था।



17. **धर्मेन्द्र कुमार सिंह (सुप्रा)** मामले में, जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है वह एक अंतरिम आदेश है।

18. हमारी सुविचारित राय में, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर उपरोक्त तीनों निर्णय लागू नहीं होते।

19. **मेसर्स सहारा इंडिया (फर्म), लखनऊ (सुप्रा)**, दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किए गए संदर्भ पर विचार के लिए जो प्रश्न आया था, वह यह था कि क्या राजेश कुमार एवं अन्य बनाम आयकर उपायुक्त एवं अन्य के मामले में लिया गया निर्णय, जहां तक यह एक पूर्ण प्रस्ताव के रूप में स्थापित होता है कि प्रत्येक मामले में जहां एओ धारा 142(2 क) के तहत निर्देश जारी करता है, ऐसा आदेश पारित करने से पहले निर्धारिती की बात सुनी जानी चाहिए, सही है। दूसरे शब्दों में, दो न्यायाधीशों की पीठ ने महसूस किया था कि अधिनियम की धारा 142(2 क) के तहत विशेष लेखापरीक्षा का आदेश देने से पहले निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 142 (2 क) के तहत शक्तियों का प्रयोग गंभीर नागरिक परिणामों की ओर ले जाता है और इसलिए, किसी निर्धारिती को पूर्व-निर्णयात्मक सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए स्पष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति में, और धारा 142 (2 क) ने किसी निर्धारिती को उचित अवसर देने पर रोक नहीं लगाई है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन की आवश्यकता को उक्त प्रावधान में पढ़ा जाना चाहिए।

20. **मेसर्स एम.आर.शाह लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा)** में, अधिनियम की धारा 147/148 के तहत 31.03.2017 को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए निर्धारण को फिर से खोलने की मांग की गई थी, यानी वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा अधिनियम की धारा 147/148 में संशोधन से पहले। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि निर्धारण को वैध रूप से फिर से खोलने का आधार ठोस सामग्री की उपलब्धता होनी चाहिए, जिससे ए ओ को पिछले निर्धारण वर्ष के विवरणी की जांच करने



में मदद मिल सके, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि अधिनियम की धारा 147 के तहत नोटिस की आवश्यकता है या नहीं। जब तक वस्तुनिष्ठ ठोस सामग्री उपलब्ध है, तब तक उस सामग्री की पर्याप्तता अधिनियम की धारा 147 के भाग के रूप में "विश्वास करने के कारणों" के आधार पर नोटिस की वैधता को निर्धारित नहीं कर सकती है।

21. **जियान कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा)** में, विचार के लिए जो मुद्दा उठा था वह यह था कि क्या अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस के चरण में, रिट कोर्ट को विवाद के गुण-दोष पर विचार करना चाहिए था, जब ए ओ को अधिनियम की धारा 147 के तहत उस पर लगाए गए वैधानिक कर्तव्य के निर्वहन में निर्धारण/पुनर्निर्धारण तैयार करना बाकी था। यह मामला अधिनियम की धारा 148 क (ख) के तहत जारी नोटिस से संबंधित था। विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों और **रेमंड वूलन मिल्स लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी, सेंटर XI, रेंज बॉम्बे और अन्य, (2008) 14 एस सी सी 218** में रिपोर्ट किए गए निर्णयों पर भरोसा किया गया। उक्त मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि इस स्तर पर, न्यायालय को केवल यह देखना था कि क्या प्रथम दृष्टया ऐसी कोई सामग्री है जिसके आधार पर विभाग मामले को पुनः खोल सकता है। इस स्तर पर सामग्री की पर्याप्तता या शुद्धता पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और यह देखा गया कि निर्धारिती के लिए यह साबित करना खुला होगा कि नोटिस में किए गए तथ्यों की धारणा गलत थी। मिसाल पर भरोसा करते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना कि जहां वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही पूरी भी नहीं की गई है, वहां रिट कोर्ट को ऐसे असामयिक चरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

22. उक्त आदेश के विरुद्ध दायर विशेष अनुमति याचिका को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति अपील (सी) संख्या 10762/2022 में दिनांक 17.06.2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया, जिससे याचिकाकर्ता के सभी तर्कों को उचित चरण में प्रस्तुत करने के लिए खुला छोड़ दिया गया।



23. गुलमुहर सिल्क प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) भी एक ऐसा मामला है, जिसमें अधिनियम की धारा 148(क)(घ) के तहत ए ओ द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। उपरोक्त मामले में भी रेमंड वूलन मिल्स लिमिटेड (सुप्रा) के निर्णय पर भरोसा किया गया। न्यायालय ने कहा कि निर्धारिती ने ए ओ के समक्ष केवल बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत किए थे, न कि लेखा पुस्तकें। यह देखा गया कि विभिन्न वैधानिक मंचों के समक्ष कार्यवाही के दौरान निर्धारिती के पास यह दिखाने का पर्याप्त अवसर होगा कि प्राप्त तथ्य त्रुटिपूर्ण थे, क्योंकि उस स्तर पर कोई कर निर्धारण आदेश पारित नहीं किया गया था और केवल यह देखा गया कि यह अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए उपयुक्त मामला था। आगे यह भी कहा गया कि यह ऐसा मामला नहीं है जो असाधारण आधारों के अंतर्गत आता हो, जिस पर कर मामलों में अंतरिम चरण में रिट याचिका सुनवाई योग्य हो।

24. एन आर ए आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) में जो मुद्दा विचारार्थ आया था, वह यह था कि ऐसे मामले में जहां शेयर पूंजी/प्रीमियम को निर्धारिती कंपनी की लेखा पुस्तकों में जमा किया जाता है, वहां निवेशक कंपनियों की पहचान, निवेशकों की ऋण-योग्यता और लेनदेन की वास्तविकता के बारे में ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा एओ की संतुष्टि के लिए प्रमाणित करने का दायित्व निर्धारिती पर है। ए ओ के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या शेयर पूंजी/प्रीमियम के माध्यम से निर्धारिती द्वारा कथित रूप से जुटाई गई 17,60,00,000/- रुपए की राशि वास्तविक लेनदेन थी या नहीं। निर्धारिती ने तर्क दिया था कि संपूर्ण शेयर पूंजी सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से खाताधारक चेक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त की गई थी और लेनदेन की पहचान और वास्तविकता स्थापित करने के लिए आयकर विवरणी पावती जैसे दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। ए ओ ने निवेशक कंपनियों की पहचान और ऋण-योग्यता के संबंध में स्वतंत्र रूप से क्षेत्रीय जांच कराई और लेनदेन की वास्तविकता की जांच की। पृष्ठछाछ के आधार पर, ए ओ ने माना कि निर्धारिती निवेशक कंपनियों की पहचान और लेन-देन की वास्तविकता साबित करने में विफल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप रु. 17,60,00,000/- की राशि को संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय में



वापस जोड़ दिया गया। आयकर आयुक्त (अपीलस)–I के समक्ष निर्धारिती द्वारा की गई अपील को स्वीकार कर लिया गया, जिसके विरुद्ध राजस्व ने आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील दायर की, जिसने राजस्व की अपील को खारिज कर दिया। राजस्व विभाग द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई अपील भी खारिज कर दी गई। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों पर विचार करने के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि निर्धारिती अधिनियम की धारा 68 के तहत आवश्यक दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा है और निर्धारिती की आय में निर्धारिती की आय को वापस जोड़ना न्यायोचित था।

25. एटेन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) में धारा 148(घ) के तहत पारित आदेश और अधिनियम की धारा 148 के तहत जारी नोटिस की वैधता को चुनौती दी गई थी। चूंकि धारा 148 क (घ) के तहत आदेश पारित करते समय याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार नहीं किया गया था, इसलिए उक्त आदेश और अधिनियम की धारा 148 के तहत जारी नोटिस को रद्द कर दिया गया।

26. श्री राव ने अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए सीबीडीटी द्वारा 01.08.2022 को जारी दिशा-निर्देशों पर बहुत जोर दिया है, जिसका सुसंगत भाग इस प्रकार है:

"VII. यदि जांच/उपलब्ध सूचना के परिणाम से यह पता चलता है कि कर योग्य आय निर्धारण से बच गई है, तो ए ओ अधिनियम की धारा 148 क (ख) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करके निर्धारिती को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। उक्त नोटिस में निर्धारिती को जवाब प्रस्तुत करने के लिए 7 से 30 दिन का समय दिया जाएगा। कारण बताओ नोटिस का एक नमूना अनुलग्नक– A1 में संलग्न है।



VIII. यदि कोई निर्धारिती व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध करता है, तो सुनवाई की तारीख निर्दिष्ट करने वाले नोटिस के अनुपालन के लिए उचित अवधि देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए उस पर कार्यवाई की जा सकती है।

XI. ए ओ को धारा 148 क (घ) के तहत आदेश पारित करने से पहले धारा 148 क के खंड (ख) में संदर्भित कारण बताओ नोटिस के जवाब में निर्धारिती द्वारा दिए गए उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करना होगा।

XII. ए ओ को इन दिशा-निर्देशों के पैरा 2.1 (iii) में शामिल मामलों को छोड़कर, धारा 148 क (घ) के तहत ऐसे आदेश के लिए 'निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति' (अनुलग्नक-ए-2) के साथ सभी मामलों में धारा 148 क (घ) के तहत एक बोलता हुआ आदेश पारित करना अनिवार्य होगा, भले ही धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने की सिफारिश की जा रही हो या नहीं। धारा 148 क (घ) के तहत ऐसे आदेश का एक खाका अनुलग्नक ए-3 में संलग्न है।”

27. श्री राव ने सीबीडीटी द्वारा 22.08.2022 को 'आयकर विभाग की कार्यात्मकता/पोर्टल पर डेटा अपलोड करने के संबंध में निर्देश- reg' विषय पर जारी किए गए संचार पर भी जोर दिया है, जिसका सुसंगत भाग इस प्रकार है:

“3. इसके अतिरिक्त इस बात पर पुनः बल दिया जाता है कि-

i) अधिनियम की धारा 148/147 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करने से पहले, करदाताओं के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने से पहले आयकर विभाग के डाटा-बेस/पोर्टल पर उपलब्ध किसी भी जानकारी का सत्यापन किया जाएगा। यहां यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि



उपलब्ध कराई गई जानकारी/रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा अपलोड किया गया डेटा मानवीय प्रकृति, तकनीकी प्रकृति आदि की त्रुटि के कारण पूरी तरह सटीक नहीं हो सकता है। इसलिए, अधिनियम की धारा 148/147 के तहत कार्यवाही शुरू करने से पहले उचित सत्यापन किया जाना चाहिए और करदाता को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

ii) पर्यवेक्षी प्राधिकारियों को यह सलाह दी जाती है कि वे प्रभावी पर्यवेक्षण बनाए रखें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी मौजूदा निर्देशों/दिशानिर्देशों/परिपत्रों/एसओपी का उनके प्रभार वाले निर्धारण अधिकारियों द्वारा विधिवत पालन किया जाए।”

28. जब ए ओ ने आदेश पारित किया तब दिनांक 01.08.2022 के दिशानिर्देश और संचार दिनांक 22.08.2022 लागू नहीं था। स्वाभाविक रूप से, 19.07.2022 को दायर की गई रिट याचिका में इसे रिकॉर्ड पर नहीं रखा जा सकता था। हालाँकि, अपील में भी, जो 26.08.2022 को दायर की गई थी, जिसमें दिनांक 01.08.2022 के दिशानिर्देशों या संचार दिनांक 22.08.2022 का कोई संदर्भ नहीं है।

29. अधिनियम की धारा 148 क (ख) के तहत 24.03.2022 को दिए गए एससीएन के जवाब में, याचिकाकर्ता द्वारा आरोपों का मुकाबला करने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता चाहता था कि कार्यवाही समाप्त कर दी जाए और बाद में विचार करते हुए मेसर्स वेलेस्का ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स पनवीर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स श्वेतपुष्प कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में प्राप्त विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता चाहता था कि कार्यवाही समाप्त कर दी जाए और बाद में विचार करते हुए मेसर्स वेलेस्का ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स पनवीर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स श्वेतपुष्प कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के



संबंध में प्राप्त विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। एससीएन के उत्तर में यह मामला पेश नहीं किया गया है कि मांगी गई किसी भी जानकारी के अभाव में, निर्धारिती उचित उत्तर दाखिल करने की स्थिति में नहीं था। निर्धारिती ने सुनवाई की तारीख तय करने के लिए भी नहीं कहा, हालांकि 24.03.2022 के एससीएन में स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया था कि सुनवाई का अवसर प्रदान किया जा रहा है और अपीलकर्ता ने ऐसे किसी भी अवसर का लाभ नहीं उठाया।

30. अपील ज्ञापन में, पैराग्राफ 5 में, अपीलकर्ता ने कहा था कि उसने सामान्य जीएसटी पोर्टल का सत्यापन किया था और पाया था कि 2,20,00,275/- रुपये के कुल लेनदेन फॉर्म नंबर 2ए में दर्शाए गए हैं, जिसमें कथित तौर पर अपीलकर्ता के नाम पर 2,20,00,275/- रुपये की बिक्री दिखाई गई है और मेसर्स पनवीन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपलोड की गई है। इस प्रकार, यह जानकारी जीएसटी पोर्टल पर बहुत अधिक उपलब्ध थी। अधिनियम की धारा 148 क (ख) के तहत दिनांक 24.03.2022 के एससीएन में प्रासंगिक जानकारी स्पष्ट रूप से इंगित की गई थी कि मेसर्स पनवीन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान अपीलकर्ता को 2,20,00,275/- रुपये की बिक्री दिखाई थी और मेसर्स पनवीन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड को अन्य व्यावसायिक संस्थाओं को अनियमित आईटीसी पारित करने के लिए अंतर्निहित वस्तुओं/सेवाओं की भौतिक आपूर्ति के बिना विभिन्न संस्थाओं को कर चालान बनाने और बेचने में लिप्त पाया गया था और ऐसा करने के लिए, उन्होंने दूसरों द्वारा जारी किए गए नकली चालानों के खिलाफ आईटीसी का लाभ उठाया और उसका उपयोग भी किया और अपीलकर्ता वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान समायोजन प्रविष्टि के रूप में किए गए ऐसे लेनदेन का लाभार्थी था।

31. सूचना का स्रोत सुसंगत नहीं है। क्या अपीलकर्ता के विरुद्ध सुसंगत ठोस सामग्री है। याचिकाकर्ता ने बैंक स्टेटमेंट या अकाउंट बुक भी जमा नहीं की। मेसर्स पनवीर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न के संबंध में ए ओ ने निम्नलिखित टिप्पणी की:



".....

8. मेसर्स पनवीर ट्रेडिंग लिमिटेड द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न का अवलोकन किया गया और पाया गया कि इस इकाई ने अपने टर्नओवर में भारी वृद्धि दिखाई है, जो वित्त वर्ष 2016-17 में 3,27,60,580/- रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2017-18 में 57,43,72,422/- रुपये हो गया है। टर्नओवर में इतनी बड़ी उछाल के बावजूद, इकाई ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान बहुत कम पीबीटी दर्ज किया है, यानी 1% से भी कम। इसके अलावा इन संस्थाओं के पास माल खरीदने और भंडारण के लिए कोई व्यवसायिक स्थान या गोदाम नहीं है।

9. उपरोक्त के मद्देनजर, यह माना जा सकता है कि मेसर्स पनवीर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड एक कागजी इकाई है जिसका कोई वित्तीय मूल्य नहीं है, और इसका उपयोग चालान जारी करने की आड़ में समायोजन प्रविष्टियाँ प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसलिए, इकाई द्वारा किए गए लेन-देन दिखावटी लेन-देन थे और इकाई द्वारा की गई सभी बिक्री फर्जी बिक्री है और प्राप्तकर्ताओं के हाथ में सभी बिक्री आय वास्तव में चालान प्राप्तकर्ताओं के हाथ में फर्जी खरीद है, जिसके द्वारा प्राप्तकर्ताओं के लाभ को दबा दिया गया है। इसलिए, मेसर्स पनवीर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और फर्जी चालान जारी करने में शामिल अन्य शेल संस्थाओं से खरीद की आड़ में प्राप्तकर्ताओं और/या अंतिम लाभार्थियों द्वारा किए गए सभी खर्च समायोजन प्रविष्टियों के अलावा और कुछ नहीं हैं।

10. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान मेसर्स पनवीर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जिन संस्थाओं को बिक्री की गई थी, उनकी सूची इनसाइट पोर्टल से ली गई है। प्राप्तकर्ताओं की संस्थाओं के आईटीआर का



अवलोकन किया गया और वित्तीय विश्लेषण किया गया ताकि इन संस्थाओं की वित्तीय साख का पता लगाया जा सके और यह भी पता लगाया जा सके कि ये संस्थाएं वास्तविक हैं या कागजी संस्थाएं हैं।

11. इन सभी संस्थाओं ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निम्नलिखित संस्थाओं के साथ पर्याप्त संख्या में फर्जी लेनदेन किए थे, जो कि निर्धारण वर्ष 2018-19 से संबंधित हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक	पैन	इकाई का नाम	कुल लेनदेन मूल्य	टिप्पणी
पनवीर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (पैन: AAICP8094Q)				
1	AADCB4662P	बारब्रिक प्रोजेक्ट लिमिटेड	2,20,00,275	लाभार्थी

12. निर्धारिती के उत्तर और रिकॉर्ड पर उपलब्ध आंकड़ों पर विचार करने के बाद, यह पूरी तरह से स्थापित है कि निर्धारिती ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान मेसर्स पनवीर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड से फर्जी खरीद के रूप में 2,20,00,275/- रुपये का लेनदेन किया है, जो कमीशन के लिए फर्जी बिक्री/खरीद के रूप में आवास प्रविष्टियां प्रदान करने में शामिल हैं। इस मामले में निर्धारिती लाभार्थी कंपनी है और उपरोक्त लेन-देन में विक्रेता से क्रेता को कोई माल हस्तांतरित नहीं किया गया। केवल पुस्तकों में प्रविष्टियाँ की गई हैं। आवास प्रविष्टियाँ बनाकर निर्धारिती ने फर्जी खरीद के संदर्भ में फर्जी व्यय दर्शाया है। इस प्रकार, उपरोक्त पक्षकारों से की गई 2,20,00,275/- रुपये की खरीद की राशि निर्धारण वर्ष 2018-19 के



दौरान निर्धारण से बच गई है। सूचना से पता चलता है कि कर योग्य आय 2,20,00,275/- रुपये से अधिक है।

32. प्रथम दृष्ट्या, कुछ सामग्री है जिसके आधार पर विभाग मामले को फिर से खोल सकता है। याचिकाकर्ता ने यह दावा करने का प्रयास भी नहीं किया कि एससीएन में जिन तथ्यों पर भरोसा किया गया है, वे गलत हैं।

33. उपरोक्त के मद्देनजर, हमारा मानना है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। तदनुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

सही/-
(अरूप कुमार गोस्वामी)
मुख्य न्यायाधिपति

सही/-
(दीपक कुमार तिवारी)
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।